



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र - इन्दौर

विज्ञप्ति क्रमांक 3566/06/परीक्षा/2013/ दिनांक 12.06.2013

आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार में फ़ोटो परिचय पत्र की अनिवार्यता की सूचना

1. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं / साक्षात्कार में आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र/ साक्षात्कार पत्र के अतिरिक्त निम्न में से कोई एक मूल फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करने पर ही परीक्षा / साक्षात्कार में आवेदक को प्रवेश दिया जा सकेगा :-
 1. मतदाता परिचय पत्र
 2. आधार कार्ड
 3. ड्रायविंग लायसेंस
 4. आयकर का पेन कार्ड
 5. केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फ़ोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
 6. पासपोर्ट
 7. फ़ोटो सहित बैंक पासबुक
 8. शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत आवेदकों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा जारी फ़ोटो पहचान पत्र
2. फ़ोटो परिचय पत्र द्वारा आवेदक की पहचान की पुष्टि न होने पर आवेदक को परीक्षा/ साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी ।


सचिव

12/6